लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक–272/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक : 08 जुलाई, 2024

विषयः–लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

मा0 अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05 जुलाई, 2024 को प्राधिकरण भवन के द्वितीय तल स्थित सभागार, विपिन खण्ड, गोमती नगर में सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 का कार्यवृत्त संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05 जुलाई, 2024 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **181वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	**श्री सूर्य पाल गंगवार**	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	**डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी**	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
03.	**श्री इन्द्रजीत सिंह**	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	**श्री कुलदीप सरोज**	सहायक निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	**श्री अनिल कुमार मिश्र**	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
06.	**श्री दीप कुमार गौतम**	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	**श्री महेश कुमार गौतम**	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
08.	**श्रीमती रेखा श्रीवास्तव**	सहायक आयुक्त उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	**डा0 कल्याण सिंह**	उपनिदेशक–पर्यटन, प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
10.	**श्री पुष्कर शुक्ला**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	**श्री पी0एन0 सिंह**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः–

12.	**श्री विवेक श्रीवास्तव**	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	**श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा**	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	**श्री एस0पी0 सिंह**	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	**श्री दीपक सिंह**	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	**श्री के0के0 गौतम**	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	**श्री नवनीत कुमार शर्मा**	प्र0 मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	**श्री शशिभूषण पाठक**	डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	**श्रीमती वन्दना पाण्डेय**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	**श्रीमती रंजना अवस्थी**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	**श्री देवांश त्रिवेदी**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
22.	**श्री रविनन्दन सिंह**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
181/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक दिनांक 27.12.2023 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
181/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक दिनांक 27.12.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

181/3	परिचालन के माध्यम से पारित हुए प्रस्तावों का पुष्टिकरणः– **3.1** ग्राम–पुरनिया, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–34/1 व 36 की अर्जत भूमि के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 25.11.1993/02.12.1993 में पारित प्रस्ताव/अनुपूरक प्रस्ताव निरस्त किये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव। **3.2** लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव। **3.3** चक गंजरिया परियोजना (सीजी सिटी) में रेजिडेन्स/व्यवसायिक भू–उपयोग का भूखण्ड संख्या–ई–3, क्षेत्रफल 13071.29 वर्गमी0 को भारत सरकार के सबसीडियरी इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (एम.एच.ए.) के कार्यालय, सह–आवास योजना की स्थापना हेतु धनराशि रू0 59,58,47,684.00 के आवंटन प्रस्ताव/ऑफर दिनांक 31.01.2022 को 02 वर्ष के अतिरिक्त दिनांक 30.04.2024 तक समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव। **3.4** गोमती नगर योजना, विराज खण्ड–1 के स्वीकृत/नियोजित तलपट मानचित्र में भूखण्डीय विकास के स्थान पर 02 भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग, 01 भूखण्ड व्यवसायिक तथा 01 भूखण्ड (PLOT FOR SECOND INNING HOME) का पुनर्नियोजन के संबंध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव। **3.5** श्रीमती ममता सिंह के प्रार्थना–पत्र के क्रम में फ्लैट संख्या–पी0आर0–2/216, टाइप–प्रेमायन के स्थान पर फ्लैट संख्या–आर–51, टाइप– रूपायन, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर योजना में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव। **3.6** अकबर नगर–प्रथम एवं द्वितीय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–1372 /24 एवं इसके साथ सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुपालन में अकबर नगर–प्रथम एवं द्वितीय से विरथापित हो रहे निवासियों के विस्थापन नीति के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव।	परिचालन के माध्यम से पारित हुए प्रस्तावों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

181/4	सेक्टर–आई, बसंतकुंज योजना, हरदोई रोड में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों के इक्जीक्युशन प्लान के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की बसन्तकुंज योजना के सेक्टर–आई में नियोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों के निर्माण के समय भौतिक रूप से विद्यमान धार्मिक भवन यथा–मजार एवम् मन्दिर को यथास्थिति बनाये रखते हुए पूर्व नियोजित भवनों के स्थलों पर आंशिक परिवर्तन कर प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों को पूर्ण किया गया है, जिससे पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3/98–60 एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत सम्बन्धित ले–आउट प्लान में संशोधित किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के तहत जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित हेतु सूचना का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशनोपरान्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सेक्टर–आई, बसंतकुंज योजना, हरदोई रोड में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना का एक्जीक्यूशन प्लान/संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
181/5	अविकसित क्षेत्र में देय एफ.ए.आर. के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं में रिक्त पड़े भूखण्डों के निस्तारण के दृष्टिगत समतुल्य एफ.ए.आर. उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर में आवासीय योजनायें विकसित की गयी है। उक्त योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं आदि भूखण्ड सृजित किये गये है। सम्पत्ति अनुभागों द्वारा विभिन्न बैठकों में अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण योजनाओं के बड़े क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार विकसित क्षेत्र में स्थित होने एवं एफ.ए.आर. कम होने के कारण अनेको बार विज्ञापन देने के उपरान्त भी विक्रीत नहीं हो रहे है। विभिन्न समन्वय बैठकों में विकासकर्ताओं एवं निवेशकों द्वारा सुझाव दिया गया है कि यदि इन भूखण्डों का एफ.ए.आर. एवं आच्छादन नये क्षेत्रों की भांति कर दिया जाय, तो प्राधिकरण की निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि का निस्तारण हो सकेगा। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विकसित योजनाओं में रिक्त पड़े भूखण्डों के निस्तारण के दृष्टिगत प्रस्तावानुसार विकसित क्षेत्र हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. एवम् अविकसित क्षेत्र हेतु निर्धारित (बढ़े एफ.ए.आर.) के अन्तर हेतु आगणित धनराशि की गणना करते हुए भूखण्ड की दर पुनः निर्धारित की जाय तथा बढ़ी हुई दर के अनुसार पुनः विज्ञापन कर सम्पत्ति का निस्तारण किया जाय। उपरोक्तानुसार नये/अविकसित क्षेत्रों के अनुसार रिक्त भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमन्य किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

181/6	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि –2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय–26 के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में।	विकास क्षेत्र में महायोजना के आवासीय भू–उपयोग तथा प्राधिकरण की योजनाओं एवम् निजी विकासकर्ताओं की योजनाओं में बहु आवासीय ईकाईयां की अनुमन्यता सम्बन्धी प्रस्ताव निम्न शर्तों के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गयाः– 1. प्राधिकरण की योजनाओं में 12.00 मी0 एवं इससे अधिक चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमी0 तथा अधिकतम 2000 वर्गमी0 से कम भूखण्डों हेतु समस्त योजनाओं के लिये जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए उसके निस्तारणोपरान्त बहु–आवासीय इकाईयों को अनुमन्य की जाय। 2. उपरोक्त बिन्दु–1 के अनुसार निजी विकासकर्ताओं की स्वीकृत परियोजनाओं में आवेदन प्राप्त होने पर परियोजना में उपलब्ध आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता की सहमति एवम् एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर जन–सामान्य से प्रत्येक कालोनी हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तथा नियमानुसार आपत्ति/सुझाव के निस्तारण उपरान्त बहु–आवासीय इकाई अनुमन्य की जायेगी। 3. महायोजना के आवासीय भू–उपयोग में आवेदन प्राप्त होने पर भवन उपविधि के अध्याय–26 में निर्दिष्ट तकनीकी मानक/प्राविधान पूर्ण होने की दशा में बहु–इकाईयाँ अनुमन्य की जायेंगी।
181/7	विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में। (Diagnostic Centre)	विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत Diagnostic Center के निर्माण कार्य से क्षेत्र के लगभग 5 लाख लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा सकेगा। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 13.10.1998 में निर्धारित प्रक्रियानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन के लिये जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध प्राधिकरण बोर्ड की गत बैठक दिनांक 27.12.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.06.2024 को जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये है। प्रकाशनोपरान्त निर्धारित अवधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर सुनवाई कर निस्तारण उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यदि जनसामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होता, तो तलपट मानचित्र के संशोधन को स्वीकृत माना जायेगा। सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

181/8	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे (विस्तार) के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	जानकीपुरम योजना सेक्टर–जे (विस्तार) के अन्तर्गत नियोजित FUTURE COMMERCIAL PLOT& CP-1 एवं ENCROCHMENT के स्थान पर प्रस्तावित भूमि के अंश भाग पर आवासीय प्रयोजन हेतु एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (क्षेत्रफल–4958.76 वर्गमी0 लगभग) तथा शेष भाग पर व्यवसायिक के अन्तर्गत एक व्यवसायिक भूखण्ड (क्षेत्रफल–3354.36 वर्गमी0 लगभग) एवं एक पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन/ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन (क्षेत्रफल–1805.44 वर्गमी0 लगभग) के रूप में नियोजन किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्र में नियोजन के दृष्टिगत पेट्रोल पम्प हेतु नियोजित भूखण्ड के स्थान पर व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने का निर्देश दिये गया। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तदानुसार ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड एवं व्यवसायिक भूखण्डों के नियोजन करने की शर्त के साथ योजना का प्रस्तावित संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
181/9	टी0ओ0डी0 जोन में स्थित प्राधिकरण की नियोजित/विकसित योजनाओं एवं पूर्ववर्ती संस्था लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित योजनाओं में टी0ओ0डी0 नीति के प्राविधान लागू किये जाने हेतु टी0ओ0डी0 प्रभाव क्षेत्र के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।	टी0ओ0डी0 जोन में स्थित प्राधिकरण की नियोजित/विकसित योजनाओं एवं पूर्ववर्ती संस्था लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित योजनाओं में टी0ओ0डी0 नीति के प्राविधान लागू किये जाने हेतु टी0ओ0डी0 प्रभाव क्षेत्र के चिन्हांकन के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई। सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार प्राधिकरण की नियोजित/विकसित योजनाओं एंव पूर्ववर्ती संस्था लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित योजनाओ में टी.ओ.डी. के प्राविधान लागू किये जाने के संबंध में उपरोक्त योजनाओं में प्रस्तावित टी.ओ.डी. प्रभाव क्षेत्र के चिन्हांकित क्षेत्र एंव तदनुसार आवंटित सम्पत्तियों की नियत आवंटन की शर्तों में टी.ओ.डी. नीति में निर्धारित मानकों को पूर्ण करने की सीमा तक शिथिलता एवं शर्तों में संशोधन किये जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः– 1. टी0ओ0डी0 क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय भूखण्डों में टी0ओ0डी0 का लाभ प्रदान करने हेतु Impact Fee प्राप्त किया जाय। 2. टी0ओ0डी0 क्षेत्र में Amalgamation हेतु भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत आमेलन शुल्क प्राप्त किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रिंग रोड, शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर को विशेष सुख सुविधा के अन्तर्गत अधिसूचित करने तथा इनके प्रभाव क्षेत्र को टी0ओ0डी0 जोन में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

181/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार जनपद–लखनऊ की सीमा के भीतर के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र (लीडा एवं छावनी क्षेत्र को छोड़कर) सम्मिलित किये जाने विषयक प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
181/11	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख सुविधा (ग्रीन कॉरीडोर) विकास हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क उदगृहीत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख सुविधा ग्रीन कॉरीडोर हेतु प्राधिकरण द्वारा नियोजित/विकसित एवम् स्वीकृत समस्त योजनाओं सहित सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में प्राप्त होने वाले प्रस्तावित/शमन मानचित्रों पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर रू0 200.00 प्रति वर्गमी0 की दर से अतिरिक्त विशेष सुख सुविधा शुल्क आरोपित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के गठन के पूर्व के विद्यमान भवनों में यदि Extension का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण हेतु समानुपातिक भूमि पर विशेष सुख सुविधा शुल्क प्राप्त किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
181/12	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 के प्राविधानों के क्रम में विकास शुल्क दर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभगा–3 की अधिसूचना संख्या–558 /आठ–3–21–211 विविध/13 टी०सी० दिनांक 09 फरवरी, 2021 के प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष–2024–25 हेतु विकास शुल्क उद्ग्रहण दर रू० 2360.00 प्रति वर्गमी० किये जाने का प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यदि बोर्ड बैठक माह अप्रैल के पूर्व आहूत होती है, तो बोर्ड बैठक से अन्यथा की स्थिति में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को विकास शुल्क दर का पुनरीक्षण करने हेतु सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया।
181/13	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–1, भूखण्ड संख्या–1/ई–997, 1/ई–995, 1/ई–993 एवं 1/ई–998 के समीप स्वीकृत तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–1 के अनुमोदित तलपट मानचित्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–1/ई–998 व 1/ई–997 के मध्य 5.50 मी0 आवासीय भूमि को पार्क में छोड कर तथा भूखण्ड संख्या–1/ई–997, 1/ई –995, 1/ई–993 व 1/ई–988 को पार्क में उपलब्ध भूमि की ओर शिफ्ट करते हुए छोडे गये 5.50 मी० आवासीय भूमि को पार्क की भूमि में समायोजित कर पार्क का क्षेत्रफल यथावत रखते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

181/14	सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार के तलपट मानचित्र में कार्यालय भूखण्ड संख्या–6 को आवासीय (नव सृजित भूखण्ड संख्या–4/6ए से 4/6एम तक) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3/98–60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले–आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान पर जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव दिनांक 27.06.2024 को आमन्त्रित किये गये है। निर्धारित अवधि में जनसामान्य से यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते है तो उन आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई कर निस्तारण उपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार के तलपट मानचित्र में कार्यालय भूखण्ड सं0–6 को आवासीय (नव सृजित भूखण्ड सं0–4/6–ए से 4/6–एम तक) में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तावानुसार सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
181/15	भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को आमेलित (AMALAGAMATE) किये जाने के सम्बन्ध में।	भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को आमेलित (AMALAGAMATE) किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 05.08.2023 द्वारा निर्धारित शर्तों सहित निम्न शर्तों के साथ भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर आमेलन अनुमन्य करने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गयाः– 1. आमेलन हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का स्वामित्व एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अथवा एकीकृत परिवार के पक्ष में होना चाहिए। 2. आमेलन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड एक ही उपयोग में होने चाहिए। 3. ले–आउट में आवासीय भूखण्डों के सापेक्ष अधिकतम 02 भूखण्ड एवं व्यवसायिक, कार्यालय तथा अन्य उपयोग के भूखण्डों में अधिकतम 04 भूखण्डों का आमेलन किया जाना अनुमन्य होगा तथा आमेलित भूखण्ड पर भवन उपविधि के प्राविधान लागू होंगे परन्तु बहु आवासीय इकाईयां अनुमन्य नहीं होंगी। 4. आवासीय भूखण्डों के आमेलन किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित/लागू उपविभाजन शुल्क के समान समेकित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर प्रचलित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत आमेलन शुल्क देय होगा। 5. व्यवसायिक उपयोग के समस्त भूखण्डों में प्रचलित सर्किल रेट का 3 प्रतिशत आमेलन शुल्क देय होगा। कार्यालय तथा अन्य उपयोग के भूखण्डों पर 2 प्रतिशत का आमेलन शुल्क देय होगा। 6. आमेलन के उपरान्त समेकित भूखण्ड पर सेट–बैक, भू–आच्छादन, एफ०ए०आर०, पार्किंग एवं

		अनुमन्य कियाओं संबंधी अपेक्षाएँ/भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुरूप/अधीन होगी। आमेलित भूखण्डों के मध्य यदि कोई सेट–बैक निर्धारित हैं उक्त पर छूट देय है। (अर्थात यथावत रखा जाना आवश्यक नही है।) 7. डिटैच्ड एवम् सेमी डिटैच्ड भवनों में यदि आमेलन किया जाता है तथा दोनों भूखण्डों के मध्य के सेट बैक को समाप्त करने पर उक्त सेट बैक के क्षेत्र के भूमि मूल्य के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया जाय। 8. टी0ओ0डी0 क्षेत्र में आमेलन होने पर कुल भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत आमेलन शुल्क लिया जाय। 9. ई०डब्लू०एस० व एल०आई०जी० भूखण्डों में मूल आवंटी अथवा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ही सन्निकट स्थित अपने दो भूखण्डों को जोड़कर प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जाए।
181/16	अनियोजित/बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक दिनांक 05.08.2023 के मद संख्या–05 में लिये गये निर्णय के क्रम में अनियोजित/बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के स्वीकृति विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गयाः– 1. अविकसित क्षेत्र में बिना तलपट मानचित्र के विद्यमान एवं विकसित कालोनियों के आन्तरिक मार्गो पर मानचित्र स्वीकृत न किये जायें। 2. आवासीय प्रयोजन हेतु उल्लिखित 9 मीटर व व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 12 मीटर चौड़ी या उससे अधिक विद्यमान न्यूनतम मार्ग हेतु निम्न प्रतिबन्ध /शर्तों में से कोई एक प्रतिबन्ध/शर्त पूर्ण होने पर भवन उपविधि के मानकों को पूर्ण कराते हुए नियमानुसार शमन उपविधि के अनुसार शुल्क तथा समस्त अन्य शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायः– 2.1. प्रस्तावित स्थल, प्रस्तावित/विद्यमान महायोजना मार्ग/ज़ोनल प्लान मार्ग पर होना चाहिए। 2.2. प्रस्तावित स्थल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अथवा विकसित कालोनी के पहुंच मार्ग पर स्थित होना चाहिए। प्रस्तावित स्थल एन0एच0ए0आई0, एन0एच0, एस0एच0, एम0डी0आर0, ओ0डी0आर0 अथवा अन्य ग्रामीण मार्ग पर स्थित होना चाहिए। 2.3. विद्यमान मार्ग किसी शासकीय/अर्धशासकीय/ स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित, विकसित/अनुरक्षित होना चाहिए। मार्ग अनुरक्षित करने वाले शासकीय विभाग द्वारा इसके निर्माण एवं मार्ग की चौड़ाई की अभिलेखानुसार पुष्टि/अनापत्ति प्रदान करने पर उसी के अनुरूप ही मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

		2.4. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त यदि भविष्य में किसी शासकीय विभाग को मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर आवेदक द्वारा नियमानुसार मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
181/17	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्थापित करने के लिए 'भूखण्ड का आकार' मानकों में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्थापित करने के लिए 'भूखण्ड का आकार' मानकों में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई। प्रस्तावानुसार पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भूखण्ड के आकार के मानकों के संसोधनों के अंगीकरण से पूर्व अन्य अपेक्षाओं तथा भूखण्ड के आकार में यथावश्यक संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
181/18	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–1/6 एवं भूखण्ड संख्या–1/5ए, सेक्टर–1, वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार को शैक्षिक भूखण्ड में परिवर्तित करते हुए उक्त योजना के तलपट मानचित्र में संसोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–1/6 एवं भूखण्ड संख्या–1/5+ए, सेक्टर–1, वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार को शैक्षिक भूखण्ड में परिवर्तित करते हुए उक्त योजना के तलपट मानचित्र में संसोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
181/19	श्री द्वारका नाथ आनन्द एवं श्रीमती कविता आनन्द द्वारा कई प्रार्थना–पत्रों के माध्यम से भूखण्ड संख्या–डी–145–ए, सेक्टर–पी, अलीगंज योजना का दाखिल खारिज एवं फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	श्री द्वारका नाथ आनन्द एवं श्रीमती कविता आनन्द द्वारा कई प्रार्थना–पत्रों के माध्यम से भूखण्ड संख्या–डी–145–ए, सेक्टर–पी, अलीगंज योजना का दाखिल खारिज एवं फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि लीज डीड से लेकर मानचित्र स्वीकृति तक की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की गई है। आवंटी का इस सम्बन्ध में दोष प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रश्नगत भूखण्ड की फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री किये जाने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले–आउट में नियमानुसार संशोधन पर विचार–विमर्श किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त द्वारका नाथ आन्नद एवं श्रीमती कविता आनन्द के प्रार्थना–पत्र के क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव के दृष्टिगत अनुमोदित तलपट मानचित्र में चिन्हित स्थल में निर्मित भूखण्ड संख्या–डी–145ए, सेक्टर–पी, अलीगंज योजना पर निर्मित भवन को यथावत् रखते हुए अन्य स्थल पर पार्क नियोजित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
181/20	गोमती नदी के किनारे कैण्ट सीमा से एक्वाडक्ट तक ग्रीन कॉरीडोर/बंधा निर्माण हेतु भूमि जुटाव के सम्बन्ध में।	गोमती नदी के किनारे कैण्ट सीमा से एक्वाडक्ट तक ग्रीन कॉरीडोर/बंधा निर्माण हेतु भूमि जुटाव के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि लखनऊ

		महायोजना–2031 में प्रस्तावित ग्रीन कॉरीडोर/बंधा निर्माण हेतु भूमि जुटाव में व्यहारिक कठिनाईयां आ रही हैं। उक्त के प्रथम चरण का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। लखनऊ के सुगम यातायात एवं काफी बडें भू–भाग की जनसंख्या को बाढ़ आने की दशा में संभावित बाढ़ से बचने के लिए उक्त भूमि जुटाव आवश्यक है। प्राधिकरण के अथक प्रयास के बावजूद भूमि जुटाव में काफी दिक्कतें आ रहीं हैं। भूमि जुटाव की समस्या निजी विकासकर्ताओं के सहयोग से उ०प्र० शासन द्वारा लागू नीतियों के अन्तर्गत दूर की जा सकती हैं। इस हेतु निम्न प्रक्रिया से भूमि जुटाव किया जा सकता है– 1. ग्रीन कॉरीडोर/बन्धं के संरेखण में आ रही भूमि को यदि निजी विकासकर्ता द्वारा क्रय कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाता है तो उ०प्र० शासन की टी०डी०आर० पॉलिसी के तहत उपलब्ध करायी गयी भूमि के सापेक्ष नियमानुसार अनुमन्य एफ०ए०आर० भूमि प्रदाता को प्रदान किया जायेगा। 2. बंधा निर्माण हेतु उक्त क्षेत्र में विकासकर्ताओं से बंधा शुल्क प्राप्त किया जाता है। यदि विकासकर्ताओं द्वारा उक्त संरेखण में आ रही भूमि को प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त भूमि की लागत विकासकर्ताओं द्वारा देय बंधा शुल्क में समायोजित की जाये। 3. विकासकर्ताओं की योजनाओं में ग्राम समाज, चकरोड, सरकारी भूमि आदि निहित रहती है, तो ऐसी भूमि को विकासकर्ता द्वारा संरेखण में उपलब्ध भूमि से निर्धारित प्रक्रियानुसार विनिमय के माध्यम से प्राधिकरण को नियमानुसार प्राप्त कराया जाय। उपरोक्त प्रस्तावानुसार गोमती नदी के किनारे कैण्ट सीमा से एक्वाडक्ट तक ग्रीन कॉरीडोर/बंधा निर्माण हेतु भूमि जुटाव विषयक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
181/21	लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना एवं आई0टी0 सिटी योजना की भूमि को भू–स्वामियों से आम सहमति से क्रय करने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 27.06.24 को निर्धारित दर लैण्ड पूलिंग नीति से भूमि जुटाव एवं भूमि अधिग्रहण के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रस्तावित वेल्नेस सिटी योजना एवं आई0टी0 सिटी, जिसके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शासन स्तर पर प्रचलित है, उनमें आपसी सहमति से भूमि क्रय करते हुए भूमि जुटाव करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर का अनुमोदन एवं प्रस्ताव में उल्लिखित योजनाओं में लैण्ड पूलिंग के शासनादेश के अनुसार भी भूमि जुटाव की अनुमति एवं भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

<table>
<tr><td>181/22</td><td>लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के अर्जित ग्राम प्यारेपुर के भू–स्वामियों द्वारा अभिनिर्णय में घोषित प्रतिकर की दर के विरूद्ध भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, कपूरथला, लखनऊ मण्डल, लखनऊ में योजित वाद में पारित आदेश के अनुपालन में भूमि की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में।</td><td>सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के अर्जित ग्राम प्यारेपुर के भू–स्वामियों द्वारा अभिनिर्णय में घोषित प्रतिकर की दर के विरूद्ध भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, कपूरथला, लखनऊ मण्डल, लखनऊ में योजित वाद में पारित आदेश में निर्णीत दर के अनुमोदन विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि भूमि का कब्जा शीघ्र प्राप्त किया जाय।</td></tr>
<tr><td>181/23</td><td>गोमती नगर में मेसर्स सहारा इण्डिया हाउसिंग लि0 को ग्राम–जियामऊ, ग्राम–उजरियांव एवं रेलवे लाइन के मध्य लाइसेंस के आधार पर ग्रीन बेल्ट के उपयोग हेतु उपलब्ध करायी गयी 100 एकड़ अर्जित भूमि पर मेसर्स सहारा इण्डिया हाउसिंग लि0 द्वारा ग्रीन बेल्ट न सृजित करने के कारण, भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण समस्त विहित प्रक्रिया अपनाते हुए लाईसेन्स को निरस्त कर प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर सघन वृक्षारोपण करने विषयक।</td><td>सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर में मेसर्स सहारा इण्डिया हाउसिंग लि0 को ग्राम–जियामऊ, ग्राम–उजरियांव एवं रेलवे लाइन के मध्य लाइसेंस के आधार पर ग्रीन बेल्ट के उपयोग हेतु उपलब्ध करायी गयी 100 एकड़ अर्जित भूमि पर मेसर्स सहारा इण्डिया हाउसिंग लि0 द्वारा ग्रीन बेल्ट न सृजित करने एवं भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण समस्त विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुज्ञप्ति अनुबन्ध को निरस्त कर प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वृहद वृक्षारोपण अभियान द्वारा सघन वन विकसित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>181/24</td><td>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनिस्तारित फ्लैटों के मूल्य के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।</td><td>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनिस्तारित फ्लैटों के मूल्य के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:–
<u>रश्मिलोक अपार्टमेन्ट</u>
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>एरिया</th><th>वर्तमान दर</th><th>संशोधित स्वीकृत दर</th></tr>
<tr><td>1–बी.एच.के.</td><td>सुपर एरिया 92.54 वर्गमीटर</td><td>48.08 लाख</td><td>41.59 लाख</td></tr>
<tr><td>2–बी.एच.के.</td><td>सुपर एरिया 107.94 वर्गमीटर</td><td>54.14 लाख</td><td>48.56 लाख</td></tr>
<tr><td>3–बी.एच.के. टाइप–2</td><td>सुपर एरिया 137.72 वर्गमीटर</td><td>71.63 लाख</td><td>61.96 लाख</td></tr>
<tr><td>3–बी.एच.के. टाइप–3</td><td>सुपर एरिया 138.70 वर्गमीटर</td><td>72.14 लाख</td><td>62.40 लाख</td></tr>
</table>
<u>अनुभूति अपार्टमेन्ट</u>
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>एरिया</th><th>वर्तमान दर</th><th>संसोधित स्वीकृत दर</th></tr>
<tr><td>2–बी.एच.के. टाइप–बी</td><td>सुपर एरिया 48.50 वर्गमीटर</td><td>24.54 लाख</td><td>20.97 लाख</td></tr>
</table>
<u>सृजन अपार्टमेन्ट</u>
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>एरिया</th><th>वर्तमान दर</th><th>संशोधित स्वीकृत दर</th></tr>
<tr><td>2–बी.एच.के. टाइप–ए</td><td>सुपर एरिया 87.32 वर्गमीटर</td><td>40.99 लाख</td><td>37.01 लाख</td></tr>
<tr><td>2–बी.एच.के. टाइप–बी</td><td>सुपर एरिया 86.80 वर्गमीटर</td><td>40.75 लाख</td><td>36.79 लाख</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>181/25</td>
<td>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से अधिग्रहीत भूमि के एवज में आवंटित चबूतरों के बकाये धनराशि पर ब्याज लिए जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से अधिग्रहीत भूमि के एवज में आवंटित चबूतरों के बकाये धनराशि पर साधारण ब्याज की प्रक्रिया से गणना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>181/26</td>
<td>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में समय-समय पर प्रचलित ब्याज दरों पर गणना किये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवंटित सम्पत्तियों में निम्नांकित तालिका अनुसार समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्णित प्रचलित ब्याज दर के अनुसार गणना किये जाने एवं डिफाल्ट होने की स्थिति में 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज लिए जाने एवं भविष्य में प्राधिकरण द्वारा ऋण लेकर योजना विकास किये जाने की स्थिति में उक्त योजना के ऋण की ब्याज दर से 1 प्रतिशत जोड़कर अन्तिम ब्याज निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गयाः-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सम्पत्ति की श्रेणी</th><th>13.01.2006 से पूर्व</th><th>13.01.2006 से 25.10. 2016 तक</th><th>26.10.16</th><th>कोरोना अवधि 09.06.21 से 31.03.23</th><th>दिनांक 27.09. 22 से</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>E.W.S.</td><td rowspan="4">हडको की दरों के अनुसार संलग्न</td><td>10%</td><td>9%</td><td>8.95%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>L.I.G.</td><td>11%</td><td>10%</td><td>8.95%</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अन्य आवासीय</td><td>12%</td><td>11%</td><td>8.95%</td><td>9%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>व्यवसायिक</td><td>15%</td><td>13%</td><td>8.95%</td><td>11%</td></tr>
</table>
उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</td>
</tr>
<tr>
<td>181/27</td>
<td>लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु समूहक (Aggregator) नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु समूहक (Aggregator) नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।</td>
</tr>
<tr>
<td>181/28</td>
<td>आवंटियों द्वारा जमा धनराशि की पुष्टि /सत्यापन न होने तथा रजिस्ट्री होने के उपरान्त नामान्तरण, फ्रीहोल्ड, मानचित्र स्वीकृत के समय आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् धनराशि कम जमा होने के संज्ञान में आने पर आवंटी से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>आवंटियों द्वारा जमा धनराशि की पुष्टि/सत्यापन न होने तथा रजिस्ट्री होने के उपरान्त नामान्तरण, फ्रीहोल्ड, मानचित्र स्वीकृत के समय आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् धनराशि कम जमा होने के संज्ञान में आने पर आवंटी से जमा कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

उपरोक्त के क्रम में जनहित/प्राधिकरण हित दोनों को संज्ञान में रखते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गयाः-
1. जिन प्रकरणों में किसी भी जांच एजेन्सी द्वारा जांच आदि की कार्यवाही की गयी हो अथवा चल रही हो उनके सम्बन्ध में जांच में पाये गये गुणदोष/निष्कर्ष के अनुसार कार्यवाही की जाय।
2. प्राधिकरण की त्रुटि एवं आवंटी के त्रुटि का निर्धारण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया</td>
</tr>
</table>

		जाय। गठित समिति द्वारा केस टू केस अपनी संस्तुति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। 3. जो धनराशि प्राधिकरण में कम जमा होनी पायी जाती है, अथवा पंजीकरण धनराशि को छोड़कर शेष अन्य जमा धनराशियों में से किसी धनराशि का सत्यापन/पुष्टि नहीं हो पाती, तो उस धनराशि पर आगणन वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक के प्रचलित एम.सी.एल.आर दर के अनुसार साधारण ब्याज की प्रक्रिया के अनुसार गणना कराकर धनराशि जमा कराई जाय। 4. ऐसे आवंटियों से नोटराइज शपथ-पत्र इस आशय का प्राप्त किया जाय कि भविष्य में यदि अन्य धनराशि आगणित होती है, तो उसे आवंटी को जमा करना होगा।
181/29	किसानों को आवंटित चबूतरों को फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त किसानों को आवंटित चबूतरों को फ्रीहोल्ड किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
181/30	भवन संख्या-एमएम-23, सेक्टर-क्यू, अलीगंज योजना का फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
181/31	एलडीए कालोनी, सेक्टर-बी, कानपुर रोड (नियर फिनिक्स मॉल) के वाणिज्यिक क्षेत्र में विद्युत तंत्र विकसित न किये जाने एवं 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु प्लान में छोड़ी गयी जमीन को विद्युत विभाग को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में विद्युत सब स्टेशन हेतु चयनित स्थल अनुमानित क्षेत्रफल 2434.92 वर्गमी0 भूमि निःशुल्क लीज पर विद्युत विभाग को आवंटित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा जनहित में अनुमोदित किया गया।
181/32	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में फल सब्जी इत्यादि के विक्रेताओं के मध्य नीलामी के माध्यम से आवंटित व्यवसायिक चबूतरों मे धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में प्राविधानित व्यवस्था में संशोधन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के विषय सं0-179/3 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एंव अल्प आय वर्ग के तथा छोटी दुकानों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने वाले आवंटियों के समान ही, नीलामी के माध्यम से आवंटित प्राधिकरण के व्यवसायिक चबूतरे, जिनका क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर तक हो, के संबंध में आवंटन के समय किश्तों में निर्धारित ब्याज दर पर साधारण ब्याज की प्रक्रिया से गणना किए जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
181/33	लंदन आई की तर्ज पर लखनऊ आई को आर0एफ0पी0 के आधार पर संचालित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती रिवर फ्रंट पर लंदन आई की तर्ज पर लखनऊ आई का निर्माण कराये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

181/34	प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 27.12.2023 मद संख्या–180/05 एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक (परिचालन) दिनांक 13.03.2024, मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–1372/2024 व अन्य तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–6531/2024 शकील अहमद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि प्रस्तावानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाय।
181/35	लखनऊ के विभिन्न झीलों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु कार्यहित में अनुभवी/विशेषज्ञ व्यक्ति/फर्म को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ के विभिन्न झीलों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु कार्यहित में अनुभवी/विशेषज्ञ व्यक्ति/फर्म को नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई। प्रस्तावानुसार लखनऊ के विभिन्न झीलों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के कार्य को सुचारू रूप से किये जाने हेतु Sri Anand Malligavad (Lake Man of India) के पक्ष में तैयार एम0ओ0यू0 की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
181/36	शासन के निर्देशानुसार प्राधिकरण में ई–ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	शासन के निर्देशानुसार प्राधिकरण में ई–ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
181/37	लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन दल हेतु तैनात सुरक्षाकर्मियों का सीधे खाते में भुगतान करने विषयक।	लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन दल हेतु तैनात सुरक्षाकर्मियों का सीधे खाते में भुगतान करने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
181/38	प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27.09.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सलाहकार फर्म/प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल के चयनित विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुसार संविदा विस्तार की सीमा 03 माह से बढ़ाकर 06 माह करने एवं मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण में गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल के विशेषज्ञों की आवश्यकता अनुसार संविदा विस्तार की सीमा बढ़ाये जाने तथा जिन विशेषज्ञों द्वारा प्राधिकरण में सेवायें देते हुए 01 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता एवं उपयोगिता अनुसार उनके द्वारा प्राधिकरण में किये गये कार्य के अनुभव के दृष्टिगत उनके मानदेय में प्रस्तावानुसार 05 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने एवं उनके संविदा विस्तार की सीमा 01 वर्ष किये जाने पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
181/39	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) व 04 अवर अभियन्ता (वि./यां.) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

181/40	भू–अर्जन से सम्बन्धित विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रभावी पैरवी तथा अर्जन सम्बन्धी कार्य हेतु मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियोंको प्राधिकरण से आबद्व किये जाने के सम्बन्ध में।	भू–अर्जन से सम्बन्धित विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रभावी पैरवी तथा अर्जन सम्बन्धी कार्य हेतु मानदेय के आधार पर श्री दान बहादुर पाठक, सेवानिवृत्त अपर निदेशक कार्यालय अभियोजन, श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय राजस्व निरीक्षक एवं श्री अम्बरीश कुमार, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन को भू–अर्जन सम्बन्धी वाद में प्रस्तरवार आख्या तैयार कराने एवं अर्जनीय कार्यवाही हेतु आबद्व किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय		
अ0वि0 181/1	भूखण्ड संख्या–ए–2/55 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ से भूखण्ड संख्या–ए–2/62 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ पर किये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि श्रीमती सुमनलता के पक्ष में मूल रूप से भूखण्ड संख्या–ए–2/55, विशाल खण्ड, गोमती नगर का आवंटन दिनांक 01.10.1983 को किया गया था तथा आवंटी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उनके प्रार्थना–पत्र पर भूखण्ड संख्या–ए–2/62, विशाल खण्ड, गोमती नगर पर परिवर्तन का प्रस्ताव तत्कालीन सचिव द्वारा तत्समय उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया गया था। इसके पश्चात् भूखण्ड संख्या–ए–2/62, विशाल खण्ड, गोमती नगर पर देय परिवर्तन शुल्क सहित वांछित धनराशि जमा कराकर श्रीमती सुमनलता के पक्ष में भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 30.06.1986 को एवं फ्रीहोल्ड डीड दिनांक 21.10.2014 को आवंटी के पक्ष में निष्पादित कर दी गई, किन्तु भूखण्ड संख्या–ए–2/55, विशाल खण्ड, गोमती नगर से भूखण्ड संख्या– ए–2/62, विशाल खण्ड, गोमती नगर पर परिवर्तन की स्वीकृति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आवंटी श्रीमती सुमनलता की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों द्वारा भूखण्ड संख्या–ए–2/62, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ श्री मुकुल सिंघल को दिनांक 15.06.2021 को विक्रय कर दिया गया है तथा उक्त रजिस्ट्री के आधार पर भूखण्ड के नामान्तरण हेतु श्री मुकुल सिंघल द्वारा आवेदन किया गया है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री मुकुल सिंघल के पक्ष में भूखण्ड संख्या–ए–2/62, विशाल खण्ड, गोमती नगर के संदर्भ में नामान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जाय।

अ0वि0 181/2	ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 की ग्राम–अरदौनामऊ व अहमामऊ की आवासीय भू–उपयोग की 12460 वर्गमी0 अनार्जित भूमि को प्राधिकरण द्वारा बिना अधिग्रहण के भूखण्ड सृजित करते हुए सरकारी संस्थाओं को आवंटित करने के कारण मे0 ईमार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 एवं प्राधिकरण के बीच विनिमय विलेख के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 181/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर आवासीय योजना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं भू–स्वामियों द्वारा वर्तमान अर्जन अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिफल मांगने विषयक।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:– 1– प्रकरण में घोषित अभिनिर्णय के प्रतिफल के विरूद्व भू–स्वामियों द्वारा मा0 भू–अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकार कोर्ट में अपील की दशा में कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाए। 2– मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका में प्राधिकरण की तरफ से सीनियर अधिवक्ता नामित करते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर रिट याचिका निस्तारित कराकर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाय।
अ0वि0 181/4	लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में निजी विकासकर्ताओं द्वारा टाउनशिप नीति 2023 के अधीन आवासीय योजना विकसित करने हेतु किये गये आवेदन विषयक।	प्रस्ताव पर विस्तार से विमर्श हुआ। विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:– 1. वेल्नेस सिटी योजना के अन्तर्गत आने वाली निजी विकासकर्ताओं की भूमि को समझौते के आधार पर क्रय किया जाय। 2. योजना की भूमि लैण्ड पूलिंग के आधार पर क्रय की जाय। 3. योजना में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान की जाय। 4. उपरोक्त बिन्दु संख्या–3 में वही विकासकर्ता/भू–स्वामी पात्र होंगे, जिनके पास न्यूनतम 10 एकड़ भूमि निर्विवादित स्वामित्व की उपलब्ध हो। 5. 50 प्रतिशत उपलब्ध कराये जाने वाली अविकसित भूमि पर भूस्वामी/विकासकर्ताओं द्वारा नियमानुसार भवन उपविधि के मानकों को पूर्ण करते हुए तलपट मानचित्र/परियोजना स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति हेतु आवश्यक विकास शुल्क तथा अन्य समस्त शुल्क भू–स्वामी/विकासकर्ताओं से प्राप्त किये जायेंगे। उपरोक्त के सम्बन्ध में विकासकर्ताओं/निवेशकों से विचार–विमर्श करके उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि अन्य कोई विकल्प प्राप्त हो सके, तो उसके सम्बन्ध में पुनः युक्तियुक्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अ0वि0 181/5	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि –2008 (यथा संशोधित–2023) के 'होटल निर्माण हेतु अपेक्षाएं' से सम्बन्धित अध्याय–5 में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक
दिनांक 05.07.2024 की उपस्थिति

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	डा0 रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ।	9415005000	
3.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9761031974	
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	9878955674	
5	प्रतिनिधि– अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
6	प्रतिनिधि– कुलदीप सरोज - उप निदेशक कोषागार एवं पेंशन अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	9450487393	
7	श्री अनिल कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।	9452153302	
8	श्री दीप कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	8795810089	
9	श्री महेश कुमार गौतम, अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	9473941836	
10	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	7905752995	
11	डा0 कल्याण सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।	9454666454	
12	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464495	
13	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9936247161	